



जनपद हमीरपुर

थाना मौदहा

दिनांक 22.10.2026

थाना मौदहा पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 342/2026, धारा 109(1), 191(2), 191(3), 352, 351(3), 288 बीएनएस एवं धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 20.10.2026 को थाना मौदहा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पिपरौंदा में दो पक्षों के मध्य विवाद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर थाना मौदहा पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर घटना की जानकारी प्राप्त की गई तथा दोनों पक्षों के घायलों को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), मौदहा भेजा गया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों पक्षों के घायल खतरे से बाहर थे। प्रकरण में दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मौदहा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 22.10.2026 को थाना मौदहा पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 342/2026, धारा 109(1), 191(2), 191(3), 352, 351(3), 288 बीएनएस एवं धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम पिपरौंदा में पानी की टंकी मोड़ के पास थाना मौदहा से वांछित अभियुक्त **राकेश उर्फ धनीराम प्रजापति** को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राकेश उर्फ धनीराम प्रजापति पुत्र लल्लू प्रसाद प्रजापति, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरौंदा, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार पाण्डेय ।
2. का0 अरुण कुमार, थाना मौदहा ।

